

प्रश्न -

ब्याख्या के स्वर्णिम नियम से आप क्या समझते हैं? निर्णीत तर्कों की सहायता से समझाइए।

"सविधियों की ब्याख्या ^{OR} का स्वर्णिम नियम यह है कि ब्याख्या का कोई भी स्वर्णिम नियम नहीं है।"

निर्वचन के स्वर्णिम ^{OR} नियम की सविस्तार ब्याख्या कीजिए।

उत्तर - स्वर्णिम नियम का अर्थ -

स्वर्णिम नियम शाब्दिक निर्वचन का ही परिमार्जित रूप है तथा सविधियों के निर्वचन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब शाब्दिक निर्वचन सविधि के आशय के उद्देश्य तक पहुँचने में असफल होते हैं तब शाब्दिक निर्वचन में सीमित विचलन का समावेश करके निर्वचन करना स्वर्णिम नियम कहलाता है।

स्वर्णिम नियम कोई नया नियम नहीं है यह केवल शाब्दिक निर्वचन का बढ़ता हुआ रूप है।

यह सिद्धान्त सर्वप्रथम वारवर्त्न VS लवलेण्ड (1828) नामक आयरिश वाद में लार्ड वर्त्न द्वारा प्रतिपादित किया गया। परन्तु इसे स्वर्णिम नियम का नाम - चीफ जस्टिस जॉर्ज मैरीसन VS हार्ट के वाद में दिया गया था।

स्वर्णिम नियम की उत्पत्ति क्राफोर्ड VS स्पूनर तथा जे VS पियर्सन के वाद में भी जाना जाता है।

जे VS पियर्सन - के वाद में लार्ड वेन्सलीडेन ने कहा कि "सर्वप्रथम किसी सविधि में प्रयुक्त शब्दों का शाब्दिक अर्थ ही देंगे परन्तु यदि इसके अध्यान्वयन में असुविधा, कष्ट, अन्याय, असंगतता, अस्पष्टता, संदिग्धता और निरर्थकता का खतरा उत्पन्न हो रहा हो तो सविधि के उक्त दुष्परिणामों से बचने के लिए की गयी ब्याख्या स्वर्णिम नियम के नाम से जाना जाता है।

[1] सविधि के विषय और आशय का सामंजस्य - जब सविधि में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के बारे में सन्देह होने लगे तो विधायिका के आशय और विषय को देखकर सामंजस्य स्थापित करते हुए निवेचन किया जाना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति में शाब्दिक अध्यान्वयन सम्भव नहीं है।

न्यू इंडिया सुगर मिल्स लि० vs कमिश्नर ऑफ सैल्स टैक्स —
— के मामले में न्यायाधीश शाह महोदय ने धारित किया कि यह
सापेक्षियों के निर्वचन का मान्य नियम है कि उसमें प्रयुक्त
अभिव्यक्तियों को उस रूप में समझा जाना चाहिए। जिसमें
सापेक्ष के उद्देश्य के साथ सामान्य हो। और जो विधायिका
के आशय को प्रभावित कर सके।

[२] उद्देश्योन्मुख अर्थान्वयन — जब निर्वचन दो दिशाओं की
सामाजिक कठिनाई को दूर करने और अंतसर हो रहा हो तो
कोर्ट ने कहा है कि उद्देश्योन्मुख अर्थान्वयन अपनाया जाना
— चाहिए।

कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स vs ए० सी० बुधिराप्पा एण्ड कम्पनी — के मामले
न्यायालय ने यह भी कहा कि उद्देश्योन्मुख निर्वचन उस सीमा तक
निरूपित होना चाहिए जिससे स्वाभाविक अर्थ का उल्लंघन
हो रहा हो या विधायिका के वास्तविक शब्द का
प्रतिस्थापन हो रहा हो।

इस प्रकार यह पूर्ण स्थापित नियम है कि यदि सविधि में प्रयुक्त शब्द साफ, स्पष्ट एवं एकावर्णी हो तो सविधि में दिये गये शब्दों द्वारा ही निर्वचन किया जाना चाहिए। परन्तु यदि यह निर्वचन हमें असंगतता एवं अनिश्चितता की तरफ ले जाता है तो हमें उसके अर्थ को बदल देना चाहिए।

प्रश्न यह है कि कैसे पता चले निर्वचन असंगतता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए यद्यपि कोई निश्चित नियम नहीं है परन्तु जस्टिस ब्लैकबर्न ने ब्रिटिश नार्थ रेलवे के मामले में ही परीक्षा बताये हैं -

(1) प्रत्येक अधिनियम में कुछ मान्यताएँ होती हैं, इनका आतिक्रमण करना ही दुष्परिणामों की जन्म देता है। - जैसे आपराधिक विधि की यह मान्यता है कि बिना दुराशय अपराध गठित नहीं होता। दुराशय के बिना यदि हम निर्वचन करते हैं तो कहा जायेगा कि हम असंगतता की तरफ बढ़ रहे हैं।

(2) जब सविधि की दो धाराओं में परस्पर विरोध हो एवं एक के निर्वचन से दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाय तब हम कह सकते हैं कि हम दुष्परिणामों की तरफ बढ़ रहे हैं।

इस प्रकार स्वर्णिम नियम मात्र एक आपवादिक परिस्थिति है जो शाब्दिक शनिर्वचन के असफल होने के पश्चात् सहायक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसलिए जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि ब्याख्या का स्वर्णिम नियम यह है कि ब्याख्या का कोई स्वर्णिम नियम नहीं है।
